



भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

www.rbi.org.in

आरबीआई/2013-14/399

बैंपविवि. एएमएल सं. 10917/14.06.001/2013-14

4 दिसंबर 2013

अध्यक्ष/मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर)/
स्थानीय क्षेत्र बैंक/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं

महोदय

यूएपीए, 1967 की धारा 51-ए का कार्यान्वयन-संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की
1267(1999)/1989(2011) समिति की 'अल-कायदा प्रतिबंध सूची' को अद्यतन करना

कृपया उपर्युक्त विषय पर दिनांक [7 नवंबर, 2013 का हमारा परिपत्र बैंपविवि.एएमएल.सं. 8677/14.06.001/2013-14](#) देखें जिसके द्वारा 30 अक्टूबर 2013 का अद्यतन टिप्पण तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267/1989 समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रेषित 2013 की तीसरी तिमाही में उक्त सूची में किए गए सभी संशोधनों के [संकलन की हार्ड प्रति वाला एक पीडीएफ](#) जारी किया गया था।

- हमें भारत सरकार, विदेश मंत्रालय, यूएनपी प्रभाग के माध्यम से 24वें अद्यतन टिप्पण से 30वें अद्यतन टिप्पण की प्रेस विज्ञप्तियां प्राप्त हुई हैं।
- बैंकों/अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा परिचालित व्यक्तियों/संस्थाओं की समेकित सूची को अद्यतन करें तथा कोई नया खाता खोलने के पहले यह सुनिश्चित करें कि प्रस्तावित ग्राहक का नाम उक्त सूची में नहीं है। इसके अलावा, बैंकों को सभी मौजूदा खातों की जांच करनी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उक्त सूची में शामिल किसी संस्था या व्यक्ति का कोई खाता नहीं है या किसी खाते से उसका संबंध नहीं है।

बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, केंद्रीय कार्यालय, केंद्रीय कार्यालय भवन, 13वीं मंजिल, शहीद भगत सिंह मार्ग, मुंबई - 400 001

फोन: 022-22701223, फैक्स: 022-22701239, ईमेल: cgmicdbodco@rbi.org.in, वेबसाइट: www.rbi.org.in

Department of Banking Operations & Development, Central Office, Central Office Building, 13th Floor, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001

Phone : 022-22701223, Fax : 022-22701239, E-mail : cgmicdbodco@rbi.org.in, Website : www.rbi.org.in

हिंदी आसान है. इसका प्रयोग नज़ाहद

"Caution: RBI never sends mails, SMSs or makes calls asking for personal information like bank account details, passwords, etc. It never keeps or offers funds to anyone. Please do not respond in any manner to such offers."

4. बैंकों को सूचित किया जाता है कि वे हमारे [17 सितंबर 2009 के परिपत्र बैंपविवि. एएमएल. बीसी. सं. 44/14.01.001/2009-10](#) के साथ संलग्न 27 अगस्त 2009 के यूएपीए आदेश में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से अनुसरण करें तथा सरकार द्वारा जारी आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करें।

5. जहाँ तक निर्दिष्ट व्यक्तियों/ संस्थाओं द्वारा बैंक खातों के रूप में रखी गयी निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या संबंधित सेवाओं को अवरुद्ध करने का संबंध है, 17 सितंबर 2009 के उपर्युक्त परिपत्र के पैरा 6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।

6. ऐसी प्रेस विज्ञप्तियों का एक लिंक, जिनमें सूची में संबंधित परिवर्तनों की घोषणा की जाती है, समिति की वेबसाइट पर निम्नलिखित यूआरएल पर दिया गया है

<http://www.un.org/sc/committees/1267/pressreleases.shtml>

6. अनुपालन अधिकारी/प्रधान अधिकारी इस परिपत्र की प्राप्ति -सूचना दें।

भवदीय

(थॉमस मैथ्यू)

महाप्रबंधक

अनुलग्नक : यथोक्त